365

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण III/निगरानी/मुरैना/2017/2380

कृपाराम पुत्र लज्जाराम शर्मा
निवासी ग्राम देव सिंह का पुरा
मौजा गंजरामपुर तहसील व जिला–मुरैना

विरूद्ध

1. बालकृष्ण पुत्र सियाराम
निवासी–गंगा पब्लिक स्कूल के पास
जाहर सिंह शर्मा मार्ग जिला– मुरैना
2. राकेश कुमार पुत्र सियाराम
निवासी नैनागढ़ रोड़ जिला–मुरैना

Santosh Kumar Vajpai
दि. 27-7-2017 को
27-7-17

तहसीलदार तहसील–मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/2015–16/अ–27 में की जा रहीं कार्यवाहीं एवं आदेश दिनांक 21/07/2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत ,धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, प्रकरण में तहसीलदार द्वारा की जा रहीं कार्यवाहीं एवं विवादित आदेश अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अनावेदकगण इस प्रकरण से संबंधित कृषि खाते के भूमि स्वामी थे अनावेदक–2 ने आवेदक को अपने हिस्से की भूमि में से 1/2 भाग का विक्रय पत्र आवेदक के हित में निष्पादित किया था जिस पर आवेदक का नामांतरण राजस्व अभिलेखो में हो चुका है।

27-7-17

3. यह कि, अनावेदक–1 ने संहिता की धारा–178 के अंतर्गत आवेदक को पक्षकार बनाये बिना बंटवारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी जानकारी होने पर आवेदक ने पक्षकार बनाये हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे तहसील न्यायालय ने दिनांक 09/03/2017 को स्वीकार किया गया।

4. यह कि, पक्षकार बनने के बाद आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि अनावेदक–1 ने अपना संपूर्ण भाग आवेदक को विक्रय करने का अनुबंध

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/2380

कृपाराम शर्मा विरूद्ध बालकृष्ण व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मुरैना, जिला–मुरैना के प्रकरण क्रमांक 09/2015–16/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 21–07–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (3) (आर0के0 जैन) सदस्य 11-3.19	